भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1367
(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

लंबित पारिश्रमिक

1367. श्री एंटो एन्टोनी:
प्रो. सौगत रायः
एडवोकेट अदूर प्रकाश:
एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी :
श्री हरीश चंद्र मीनाः
श्री के. सुधाकरनः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) अधिनियम, 2005 की धारा 27 द्वारा यथाविहित दिनांक 09 मार्च, 2022 के आदेश को रद्द करने और पश्चिम बंगाल में पुनः कार्य को शुरू करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) सरकार का पश्चिम बंगाल को सभी लंबित वेतन और सामग्री बकाया कब तक चुकाने का प्रस्ताव है;

(ग) सरकार द्वारा निधि को रोकने के बाद मनरेगा अधिनियम, 2005 को समुचित रूप से लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) उपस्थिति ऐप में समस्या के कारण उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ श्रमिकों की संख्या का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा अपनाया गया तंत्र क्या है;

(ङ) एनएमएमएस ऐप पर डिजिटल उपस्थिति रिकॉर्डिंग की समस्या के कारण किसी भी श्रमिक को वेतन से वंचित नहीं किए जाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश क्या हैं;

(च) एनएमएमएस ऐप से संबंधित मुद्दों के संबंध में दर्ज की गई कुल शिकायतों की संख्या और की गई कार्रवाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) अप्रैल 2023 से 31 अक्तूबर 2024 के बीच एनएमएमएस ऐप और वास्तविक उपस्थिति पंजियों के बीच मौजूद उपस्थिति विसंगतियों की राजस्थान सहित राज्यवार कुल संख्या क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, इस योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में , केंद्रीय टीमों की निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर जिनमें वित्तीय दुरुपयोग, गैर-अनुमेय कार्यकलापों का निष्पादन , कार्यों का विभाजन , पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी जैसी कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं को उजागर किया गया है, इस मंत्रालय ने इसके सुधार के लिए राज्य को कई पत्र भेजे हैं। तथापि, कोई स्पष्ट सुधार नहीं देखा गया। परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण अधिनियम की धारा 27 के तहत 9 मार्च, 2022 से पश्चिम बंगाल राज्य को निधि जारी करना बंद पर रोक लगा दिया गया। राज्य से अद्यतन कृत कारवाई रिपोर्ट दिनांक 14 जनवरी, 2025 के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है।

(घ) से (ङ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 01 जनवरी 2023 से एनएमएमएस के माध्यम से सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी योजना/परियोजना के अलावा) के संबंध में कामगार के जियो-टैग किए हुए एक दिन में दो-टाइम स्टैम्प लगे फोटोग्राफ के साथ राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

यदि कार्यस्थल नेटवर्क कवरेज क्षेत्र में स्थित नहीं है या किसी अन्य नेटवर्क समस्या के कारण उपस्थिति अपलोड नहीं की जा सकती है तो उपस्थिति को ऑफ़लाइन पद्धति से दर्ज किया जा सकता है और डिवाइस के नेटवर्क कवरेज क्षेत्र में आने के बाद अपलोड किया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों के कारण अगर उपस्थिति अपलोड नहीं की जा सकती है तो ऐसे मामले में छूट का प्रावधान भी मौजूद है।

(च): एनएमएमएस ऐप की समस्याओं के संबंध में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) पर प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है:

राज्य	शिकायतों की संख्या
बिहार	15
राजस्थान	1
उत्तर प्रदेश	1
मध्य प्रदेश	1
ओडिशा	1

इन शिकायतों पर संबंधित राज्यों द्वारा उचित कार्रवाई की गई है और की गई कार्रवाई रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

(छ): एनएमएमएस ऐप और भौतिक मस्टर रोल के बीच उपस्थिति डेटा विसंगतियों का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

****